संख्या-126/2019/4407/30-3-19-19बी/2013

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 19 नवम्बर, 2019

विषय :- उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 14.08.2019 में अनुमोदित जनपद आगरा एवं कानपुर नगर हेतु इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1607स०सु०/2019-02स0सु0/2019, दिनॉक 30-10-2019 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 02.01.2018 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जनपद कानपुर नगर एवं आगरा हेतु इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन सेंटर के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-19/2018/728/30-3-2018-4बी/2016, दिनांक 10.03.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० (पैकफेड) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए शासनादेश संख्या-44/2018/930/30-3-18-19बी/2013, दिनांक 30-03-2018 द्वारा प्रति सेंटर के निर्माण हेतु रू0 325.00 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में ही उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनॉक 14.08.2019 में प्राप्त अनुमोदन के अनुक्रम में जनपद कानपुर नगर एवं आगरा हेतु इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन सेंटर के निर्माण हेतु एकमुश्त अनुमोदित कुल धनराशि रू0 500.00 लाख निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था का आगणन (रू0 लाख में)	प्रभाग द्वारा आंकलित लागत (रू0 लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत धनराशि (रू0 लाख में)	द्वितीय किश्त के रूप में निर्गत हेतु धनराशि (रू0 लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	जनपद-कानपुर नगर में इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन का निर्माण	999.45	839.35	325.00	250.00
2	जनपद-आगरा में इंस्पेक्शन एवं सर्टिफिकेशन का निर्माण	966.09	807.93	325.00	250.00

(1) प्रशासकीय विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2019 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

(2) कार्य की विशिष्टयॉ मानक एवं गुणवता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी तथा यह सुनिश्चित करेगें की कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिय है उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित करेगें कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा कियी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

(6) परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

(8) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, इसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि प्रभाग के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश संख्या-44/2018/930/30-3-18-19बी/2013, दिनांक 30-03-2018 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के पूंजीगत पक्ष के अन्तर्गत "लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-800-अन्य व्यय-05-उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह०/-
(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

संख्या-126/2019/4407(1)/30-3-2019, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- संभागीय परिवहन अधिकारी लखनऊ कानपुर एव आगरा।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि० (पैकफेड)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in